


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--:: कार्यालय आदेश ::--

राज्य सरकार के ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक: 11 जून 2014, 07.08.2014 की अनुपालना नीचे वर्णित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) द्वारा परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीवीक्षाकाल की अवधि में निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-


क्र.सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	लिए गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	श्रीमति कविता शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाजन, बीकानेर	जीव विज्ञान	01.02.2019 से 21.02.2019 तक 23.02.2019 से 06.03.2019 तक 10.04.2019 से 30.04.2019 तक (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)	54 दिवस	असाधारण अवकाश

नोट:- कार्मिक का उक्त अवधि का वेतन आहरित कर लिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान समायोजित करें। उक्त कार्मिक का राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक: 11.06.2014 एवं 07.08.2014 की अनुपालना में इनके परीवीक्षाकाल में "24 दिवस" की वृद्धि होगी तथा बढी हुई अवधि में और "असाधारण अवकाश" लेने पर परीवीक्षाकाल में तदनुसार उतनी वृद्धि होगी।


(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/अवकाश(2)/वो.-2/2019-20 दिनांक: 05/10/2020
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
02. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
03. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि।
04. संबंधित कार्मिक।
05. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
06. रक्षित पत्रावली।


1 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर